प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 04 जून, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एंव इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण एंव संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज(उपकरण)/2025-26/193, दिनांक 20.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों(राजकीय मेडिकल कालेज बदायूं को छोड़कर) एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एंव इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के उपकरणो के क्रय हेतु निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 20.05.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपकरणों की सूची के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एंव इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण एंव संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल **कुल रू0 464.70 लाख (रू0 चार करोड़ चौसठ लाख सत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा	32.96
2	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर	33.49
3	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज	33.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	33.50
5	राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी	33.43
6	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	32.34
7	राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा	33.50
8	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	33.50
9	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर	33.49
10	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	33.49
11	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन	33.50
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज	33.50
13	हृदय रोग संस्थान, कानपुर	33.50
14	जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर	31.00
	योग-	**464.70**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य/निदेशक की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।
3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।

6. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

7. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

8. उपकरणों के कय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

9. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।

10. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 4,64,70,000 (रुपये चार करोड़ चौंसठ लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/ तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बांदा, आजमगढ़ एवं मेरठ।
4. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर /जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बांदा, आजमगढ़ एवं मेरठ।
6. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर /जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बांदा, आजमगढ़ एवं मेरठ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।